अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0.....सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3

न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0–15–109/2013

अपीलार्थी – श्रीमती विनिता कुमारी

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार व अन्य

आदेश

प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1800/प्रो0 दिनांक 20.12.2012 के विरूद्ध हस्तांतरित होकर इस न्यायालय में अपील दायर किया गया है।

इस आँगनबाड़ी में मामला/आरोप यह है कि मरौना परियोजना के केन्द्र सं0– 28 दुर्गा स्थान के निकट केन्द्र का बाल विकास परियोजना पदाधिकारी राघोपुर द्वारा दिनांक 25.07.2012 को 12:05 बजे दिन में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय केन्द्र पर 12 बच्चे उपस्थित थे तथा केन्द्र का संचालन असंतोषप्रद पाया गया।

उक्त बरती गई अनियमितता के संबंध में सेविका श्रीमती विनिता कुमारी से स्पष्टीकरण की माँग ज्ञापांक 1222/प्रो0 दिनांक 24.08.2012 से की गई। एवं निर्धारित तिथि 31.08.2012 को अपने स्पष्टीकरण /पक्ष रखने हेतु तिथि का भी निर्धारण किया गया। निर्धारित तिथि को सेविका ने अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया।

इस अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय में प्रारंभ की गई, जिसमें अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता /सरकारी अधिवक्ता ने अपना–अपना पक्ष कागजात,साक्ष्य प्रस्तुत किए। अपीलर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि दिनांक 25.07.2012 को 12:05 बजे दिन में सी0डी0पी0ओ0 राघोपुर द्वारा केन्द्र का

निरीक्षण किया गया केन्द्र खुला था तथा संचालित था , मात्र 12 बच्चें उस समय उपस्थित थे। जबकि उपस्थिति पंजी में 25 बच्चें का उपस्थिति दर्ज थी । इस संबंध में अपीलार्थी सेविका ने अपने स्पष्टीकरण में लिखित जबाव दी है कि मेरे उपर लगाए गए आरोप गलत है, केन्द्र का संचालन विधिवत रूप से करती हूँ तथा निरीक्षण तिथि को केन्द्र पर 25 बच्चें उपस्थित हुए थे, जिसकी उपस्थिति बनाई गई थी, चूँकि केन्द्र खुला स्थान चबुतरा पर चलता है, घेरा कोई नहीं है, खुला चबुतरा रहने के कारण केन्द्र के समीप वाले घर के बच्चें आते–जाते रहते है, काफी हिदायत देने के बाद भी छोटे–छोटे बच्चें बचपना एवं नासमझी के कारण इधर – उधर भाग जाते है, उन सभी बच्चों को समझा बुझाकर ही प्यार से रखना पड़ता है, छड़ी दिखाने की सरकार से ही मनाही है, अतः केन्द्र संचालन में उपस्थिति पंजी में दर्ज 25 बच्चों की उपस्थिति कोई अनियमितताऐं नहीं है, चयन मुक्त आदेश नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध निर्णय है, जिसे खंडित करने योग्य है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि दिनांक 25.07.2012 को सी0डी0पी0ओ0 राघोपुर द्वारा जो केन्द का निरीक्षण किया गया, उनमें उन्होंने मंतब्य –निरीक्षण पंजी में दर्ज की है कि केन्द्र को संचालित पाया गया एवं पोषाहार की गुणवता भी संतोषप्रद पाया गया, तथा अपीलार्थी को निर्देश दिया गया कि साथ ही ''सख्त चेतावनी दिया जाता है कि केन्द्र पर बच्चों की शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करे, एवं केन्द्र पर सभी पंजीयां रखें '' इस तथ्य को नजर अंदाज करते हुए निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल द्वारा कठोर आदेश चयन मुक्ति का पारित किया गया, जो अनुचित एवं त्रुटिपूर्ण है, निरीक्षण पंजी का भी अवलोकन कराया गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी इस न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया कि अगर सेविका गलत हाजिरी बनाती है तो पूरे 40 बच्चें की भी बना सकती थी, किन्तु सही रूप से केन्द्र पर 25 लाभुक बच्चें ही आए थे उन्ही मात्र 25 बच्चों का ही हाजिरी बनाया गया, जिन्हें स्कूल पूर्व शिक्षा भी दिया गया, पोषाहार भी बनाकर खिलाया गया महज केन्द्र का स्थान खुला होने के कारण कुछ बच्चें इधर –उधर चले गए थे, इस तथ्य को नजर अंदाज कर चयन मुक्त आदेश दिया गया, जो काफी कठोर आदेश है एवं यह आदेश खंडित करने योग्य है। उपस्थिति पंजी का भी अवलोकन कराया गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि निम्न न्यायालय द्वारा वाद विचारण के समय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल ने सी0डी0पी0ओ0 मरौना से मंतब्य युक्त प्रतिवेदन की माँग किया गया। अनुपालन में सी0डी0पी0ओ0 मरौना ने पत्रांक 195 दिनांक 05.06.2013 से एक प्रतिवेदन डी0पी0ओ0 सुपौल को भेजा जिसमें केन्द्र के पोषक क्षेत्र के लाभुक हनुमान प्रसाद, श्री वृहस्पति, अरहुलिया देवी श्री सत्य नारायण कामत वगैर से पूछ ताछ

किया गया एवं बयान लिया गया। सभी लाभुक ने केन्द्र के संबंध में बताया कि केन्द्र का संचालन नियमित रूप से चलता है, पोषाहार एवं टी0एच0आर0 का वितरण नियमित किया जाता है। उन्होंने अपने मंतब्य में यह भी अंकित किए है कि 15 दिनों का बाल पोषाहार की राशि की वसुली का आदेश देकर एक बार माफ किया जा सकता है। सी0डी0पी0ओ0 मरौना के पत्रांक 193 दिनांक 05.06.2013 का मंतब्य युक्त प्रतिवेदन अवलोकन कराया गया उन्होंने यह भी बताया कि अपीलार्थी के (सेविका) विरूद्ध लगाए गए आरोप बिल्कुल लघु किस्म के है, अतः लघु दंड देते हुए चयन मुक्ति आदेश को खंडित किया जा सकता है।

उपरोक्त सारे विवेचनाओं एवं निष्कर्षो के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची कि अपीलार्थी सेविका पर कोई गंभीर आरोप /शिकायत नहीं है। केन्द्र खुला था सेविका /सहायिका मौजूद थी लाभुक बच्चें 25 की उपस्थिति पंजी में दर्ज है। पोषाहार भी संतोषप्रद बनाया गया था हाँ कुछ बच्चें इधर घर –उधर कुदने –फिरने चले गये थे यह तो बच्चों का Natural स्वभाव है बांध कर तो रखना नहीं है समझा–बुझाकर प्यार से निर्धारित अवधि तक बैठाकर रखना है, हाँ कुछ बच्चें स्वभाव से काफी चंचल किस्म के होते है, भाग–दौड़ करते रहते है, उस पर उसी हिसाब से नजर रखना पड़ता है, सख्ती दिखाना नहीं है। नहीं तो बच्चें दुसरे दिन से आना नहीं चाहेंगे।

अतः सी0डी0पी0.ओ0 मरौना के मंतब्य युक्त प्रतिवेदन के आधार पर सेविका को लघु दंड मात्र 15 दिनों का पूरक पोषाहार राशि आर्थिक दंड कोषागार में विभागीय शीर्ष में जमा करने की उपरान्त ही आदेश निर्गत तिथि से सेविका पद पर चयन बरकरार रखा जाता है। वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

21.4.2015.

उप-निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

21.4.2015.

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा